फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कैलाश हरिकिशन व्यास नि0 16/6/415 फिलखाना BE - 6 बैगम बाजार हैदराबाद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 05/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.02.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक : एफ.1( )सू0अ0,05/2024/930 दिनांक 02.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2023 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इस कार्यालय को 20.12.2023 को प्राप्त हुआ है अपीलार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना का संबंध इस कार्यालय से नही होकर तहसील कार्यालय, भीम, जिला राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 822–23 दिनांक 20.12.2023 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में तहसीलदार भीम जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठिांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गयी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से जरिये क्रमांक :– सू.अ. 05/2023/131–34 दिनांक 12.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ. 05/2024/15 दिनांक 12.02.2024 को प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा तहसीलदार भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज	

	पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)